

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.1(63)पीएस/निकाशि/ 2012/ 1136


दिनांक:- 7/10/2013

आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक-एफ-3(26)शिक्षा-4/88 दिनांक 18-11-95 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार आदेश क्रमांक एफ-1(20)शिक्षा-4/87 दिनांक 1-5-89 एवं आदेश क्रमांक-एफ-1(6)शिक्षा-5/2010 दिनांक 9-12-2011 के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 19-9-2013 की अनुशंषा के आधार पर निम्नलिखित पुस्तकालयाध्यक्षों को उनके नाम के आगे अंकित तिथि से चयनित वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे-8000 स्वीकृत किया जाता है।

इनका वेतन स्थिरीकरण राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 के अन्तर्गत किया जायेगा।

क्र०सं०	नाम	पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	चयनित वेतनमान स्वीकृत करने का दिनांक
1	श्री नन्द कुमार शर्मा	राज० महावि० बारा से०नि० 28-2-13	28-2-1953	31-3-2007
2	श्री राजेन्द्र कुमार शुक्ला	राज० महावि० किशनगढ़	16-9-1953	31-3-2007


(जयसिंह जैन)
निदेशक


कालेज शिक्षा, राज०, जयपुर

क्रमांक:-एफ.1(63)पीएस/निकाशि/ 2012/ 1137- 1144

दिनांक:- 7/10/2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- 2- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 3- शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4- निजी सचिव, निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 5- संबंधित राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को भेजकर लेख है कि आपके महाविद्यालय से संबंधित पुस्तकालयाध्यक्षों को आदेश की प्रति अपने स्तर पर उपलब्ध करायें।
- 6- वित्तीय सलाहकार, कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि प्राचार्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर बजट आवंटन कर भुगतान की व्यवस्था करायें।
- 7- स्थापना शाखा
- 8- रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
कालेज शिक्षा, राज०, जयपुर,

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.1(63)पीएस/निकाशि/ 2012/ 1145


दिनांक:- 7/10/2013

आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक-एफ-3(26)शिक्षा-4/88 दिनांक 18-11-95 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार आदेश क्रमांक एफ-1(20)शिक्षा-4/87 दिनांक 1-5-89 एवं आदेश क्रमांक-एफ-1(6)शिक्षा-5/2010 दिनांक 9-12-2011 के अन्तर्गत गठित स्कीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 19-9-2013 की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को उनके नाम के आगे अंकित तिथि से चयनित वेतनमान 12000-420-18300 स्वीकृत किया जाता है।

इनका वेतन स्थिरीकरण राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 के अन्तर्गत किया जायेगा।

क्र० सं०	नाम व महाविद्यालय का नाम	पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक व दिनांक	चयनित वेतनमान स्वीकृति का पूर्व दिनांक	चयनित वेतनमान स्वीकृति का संशोधित दिनांक
1	श्री राजेन्द्र प्रसाद शिवराण, राज० महावि० तारा नगर (सेवानिवृत्त)	एफ-1(1)पीएस/निकाशि/95 /263 दिनांक 8-4-2004	29-8-1999	27-7-1998
2	श्रीमती सरला तंवर, राज० कन्या महावि० बीकानेर (से०नि०)	एफ-1(1)पीएस/निकाशि/95 /263 दिनांक 8-4-2004	21-2-2001	27-7-1998



(न. न. जैन)
निदेशक
कालेज शिक्षा, राज०, जयपुर

क्रमांक:-एफ.1(63)पीएस/निकाशि/ 2012/ 1146 - 1153

दिनांक:- 7/10/2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- 2- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 3- शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4- निजी सचिव, निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 5- संबंधित राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को भेजकर लेख है कि आपके महाविद्यालय से संबंधित शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को आदेश की प्रति अपने स्तर पर उपलब्ध करायें।
- 6- वित्तीय सलाहकार, कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि प्राचार्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर बजट आवंटन कर भुगतान की व्यवस्था करायें।
- 7- स्थापना शाखा
- 8- रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
कालेज शिक्षा, राज०, जयपुर,

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.1(63)पीएस/निकाशि/ 2012/ 1154

दिनांक:- 7/10/2013

आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक-एफ-3(26)शिक्षा-4/88 दिनांक 18-11-95 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार आदेश क्रमांक एफ-1(20)शिक्षा-4/87 दिनांक 1-5-89 एवं आदेश क्रमांक-एफ-1(6)शिक्षा-5/2010 दिनांक 9-12-2011 के अन्तर्गत गठित स्वीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 19-9-2013 की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित पुस्तकालयाध्यक्षों तथा शारीरिक शिक्षा अनुदेशक को उनके नाम के आगे अंकित तिथि से वरिष्ठ वेतनमान दिनांक 1-1-1986 से 3000-5000 (दिनांक 1-1-1996 से संशोधित वेतनमान 10000-325-15200 एवं दिनांक 1-1-2006 से संशोधित वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे-7000) स्वीकृत किया जाता है।

इनका वेतन स्थिरीकरण राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 के अन्तर्गत किया जायेगा।

क्र०सं०	नाम	पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत करने का दिनांक
	पुस्तकालयाध्यक्ष			
1	श्री बशीर बिस्वा	राज० कन्या महावि० पाली	4-8-1954	31-3-2003
2	श्री मोहम्मद आरिफ खान	राज०कन्या महावि० बून्दी	11-2-1959	31-3-2005
3	श्री शिव नारायण गौड	राज०कन्या महावि० भरतपुर	28-4-1959	31-3-2006
4	श्री सीताराम जाट	राज० महावि० नागौर	14-7-1960	31-3-2006
5	श्री नन्द कुमार शर्मा	राज० महावि० बारा से०नि० 28-2-13	28-2-1953	31-3-2002
6	श्रीमती उर्मिला गुप्ता	राज०कला महावि० अलवर	10-8-1955	31-3-2003
7	श्री अशोक कुमार	राज० महावि० ब्यावर	1-9-1959	31-3-2006
8	श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा	राज०कन्या महावि० करौली	15-4-1959	31-3-2006
9	श्री पूरणसिंह गडासिया	एम०एस०जे० महावि० भरतपुर	1-8-1958	31-3-2006
9	श्रीमती रुकमण जाट	राज०कन्या महावि०बीकानेर	1-2-1955	31-3-2004
10	श्रीमती गुरिन्दर कौर	राज० महावि० बयाना	3-9-1960	31-3-2006
11	श्रीमती नानकी कोरानी	राज० महावि० नसीराबाद	23-9-1960	31-3-2005
12	श्री एम०क्यू०जेड अब्बासी	राज०महावि०नागौर से०नि० 31-1-1997	15-1-1939	1-4-1989
13	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	राज०कन्या महा०श्रीगंगानगर	29-9-1954	31-3-2004
14	श्री कैलाश चन्द्र शर्मा	राज० महावि० करौली	20-6-1954	31-3-2004
15	श्री हरि सिंह	राज० महावि० बीबीरानी	10-6-1966	31-3-2005
16	श्री बाबूलाल मीणा	राज० महावि० कोटपूतली	22-2-1964	31-3-2004
17	श्री सदाशिव शर्मा	राज०कन्या महावि० अलवर	1-7-1959	31-3-2006
18	श्री जयसिंह मीणा	राज० महावि० सवाईमाधौपुर	12-7-1968	31-3-2005
19	श्री राजेन्द्र कुमार शुक्ला	राज० महावि० किशनगढ	16-9-1953	31-3-2002
	शारीरिक शिक्षा अनुदेशक			
1	श्री रामप्रसाद मीणा	राज० महावि० हिण्डोनसिटी	1-7-1962	1-7-1999

(जीवन जैन)
निदेशक
कालेज शिक्षा, राज०, जयपुर
दिनांक:- 7/10/2013

क्रमांक:-एफ.1(63)पीएस/निकाशि/ 2012/ 1155-1162

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- 2- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 3- शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4- निजी सचिव, निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 5- संबन्धित राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को भेजकर लेख है कि आपके महाविद्यालय से संबन्धित पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शारीरिक अनुदेशक को आदेश की प्रति अपने स्तर पर उपलब्ध करायें।
- 6- वित्तीय सलाहकार, कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि प्राचार्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर बजट आवंटन कर भुगतान की व्यवस्था करायें।
- 7- स्थापना शाखा 8- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
कालेज शिक्षा, राज०, जयपुर,